

सूचना (छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना)

आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग छ.ग. के आदेश क्र. 4313/1437/आउशि/सम./2023 दिनांक 07/10/2023 के परिपालन में राज्य के राजकीय विश्वविद्यालय एवं शासकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु योजना के तहत परिवहन सुविधा का लाभ लेने के इच्छुक नियमित विद्यार्थियों को वेबसाइट <https://cmbuspass.cgstate.gov.in> के माध्यम से ऑनलाइन पंजीयन करना होगा। बिना ऑनलाइन आवेदन किए छात्र-छात्राओं को परिवहन सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। ऑनलाइन पंजीयन नहीं करने पर आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। संबंधित पोर्टल में ऑनलाइन कर हार्डकॉपी महाविद्यालय जमा करना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए महाविद्यालय की वेबसाइट <https://abvgcp.ac.in> का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें।

आदेशानुसार